[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).– भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 683(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 के हिन्दी पाठ में,--

1. पृष्ठ 11 पर,--

(i) पंक्ति 39 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,-- "4. जहां किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक किसी जलयान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा का मूल्य, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, वहां वह मूल्य आयातीत माल के सीआईएफ मूल्य (लागत, बीमा और माल भाड़े का योग) के 10% के रूप में समझा जाएगा ।";

(ii) पंक्ति 40 में, "4" के स्थान पर "5" पढ़ें ;

2. पृष्ठ 12 पर,--

(i) पंक्ति 2 में, "सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम" शब्दों के स्थान पर "भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2017 में सा.का.नि. 690(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) से उपाबद्ध सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम" पढ़ें ।";

(ii) पंक्ति 23 में, "5" के स्थान पर "6" पढ़ें ।

[फा.सं. 334/1/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार